

STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.

**COMMERCIAL DEPARTMENT
WATER TARIFF**

RETAIL WATER TARIFF EFFECTIVE FROM BILLING CYCLE AUGUST 2009		
A.	Category-I (Domestic) Metered Water Connections	
1	Fixed monthly access charges (service Charges)	
	i) Up to 200 Sq. meters premises	Rs. 40/- per connection per month
	ii) Above 200 Sq. meter premises	Rs. 120/- per connection per month
2	Volumetric Water Consumption Charges	
	Water Consumption	Charges per kilo liter per month
	Up to 6 kl	0
	above 6 kl & up to 20 kl	Rs. 2/-
	above 20 kl & up to 30 kl	Rs. 7/-
	above 30 kl	Rs.10/-
		} Plus 50% towards sewerage maintenance
B.	Category II (Non Domestic)	
1	Fixed monthly access charges (service Charges)	
	for all premises	Rs. 250/- per connection per month
2	Volumetric Water Consumption Charges	
	Water Consumption	Charges per kilo
	Up to 25 kl	Rs. 10/-
	above 25 kl & up to 50 kl	Rs. 20/-
	above 50 kl	Rs. 30/-
		} Plus 50% to
C.	Category III (Non Domestic)	
1	Fixed monthly access charges (service Charges)	
	for all premises	Rs. 600/- per connection per month
2	Volumetric Water Consumption Charges	
	Water Consumption	Charges per kilo liter per month
	Up to 25 kl	Rs. 15/-
	above 25 kl & up to 50 kl	Rs. 25/-
	above 50 kl & up to 100 kl	Rs. 35/-
	above 100 kl	Rs. 50/-
		} Plus 50% towards sewerage maintenance

Water Cess: In addition water cess charges @ 2 Paise per kilo liter per month shall continue to be recovered from all category of consumers.

Bulk connections provided to Colony/Group Housing Society/ Multi Storey Flats:- Water charges shall be worked out as per residential unit wise at domestic rates applicable from time to time. Where area of flat/premises is not known, all flats used for residential purposes shall be charged service charges of Rs.40/- per month per dwelling unit and independent houses and bungalows Rs. 120/- per month per connection.

विवरण-VII कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची

वाणिज्य विभाग

जल-शुल्क दर

बिलिंग चक्र अगस्त 2009 से प्रभावी फुटकर जल पर शुल्क प्रभार		
क.	श्रेणी-1 (घरेलू) मीटर जल कनेक्शन	
1	निर्धारित मासिक जल पहुँच प्रभार सेवा प्रभार)	
	I) 200 मी. तक के परिसर	40/- रु0 प्रति कनेक्शन प्रति मास
	II) 200 मी. से बड़े परिसर	120/- रु0 प्रति कनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रभार प्रति कि.ली. प्रति मास
	6 कि.ली. तक	0
	6 कि.ली. से अधिक एवं 20 कि.ली. तक	रु0 2/-
	20 कि.ली. से अधिक एवं 30 कि.ली. तक	रु0 7/-
	30 कि.ली. से अधिक	रु0 10/-
		जमा 50 प्रतिशत सीवर प्रणाली रखरखाव
ख.	श्रेणी-2 (गैर घरेलू)	
1	श्रेणी-2 (गैर घरेलू) मीटर जल कनेक्शन	
	सभी परिसरों के लिए	250/- रु0 प्रति कनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रतिमाह प्रति किलो लीटर प्रभार
	25 कि.ली. तक	0
	25 कि.ली. से अधिक एवं 50 कि.ली. तक	रु0 2/-
	50 कि.ली. से अधिक	रु0 30/-
		जमा 50 प्रतिशत
ग.	श्रेणी-3 (गैर घरेलू)	
1	श्रेणी-1 (घरेलू) मीटर जल कनेक्शन	
	सभी परिसरों के लिए	600/- रु0 प्रति कनेक्शन प्रति मास
2	स्वैच्छिक जल खपत प्रभार	
	जल खपत	प्रति कि.ली. प्रभार प्रति मास
	25 कि.ली. तक	रु0 15/-
	25 कि.ली. से अधिक एवं 50 कि.ली. तक	रु0 25/-
	50 कि.ली. से अधिक एवं 100 कि.ली. तक	रु0 35/-
	100 कि.ली. से अधिक	रु0 50/-
		जमा 50 प्रतिशत सीवर प्रणाली प्रभार

जल उपकर: इसके अतिरिक्त 2 पै0 प्रति कि.ली. प्रति मास का जल उपकर प्रभार सभी कर्मियों के उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना जारी रहेगा ।

कालोनी/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बहु तलीय फ्लैटों को प्रदत्त थोक कनेक्शन: जल प्रभार समय-समय लागू घरेलू क्षेत्र के अनुसार आवासीय इकाई के सुधार अब फिर किये जायेंगे । जहाँ फ्लैट/परिसर का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है, वहाँ आवासीय फ्लैटों/वासियों के 40/- रु0 प्रति मास प्रति रिहायशी इकाई के रूप है एवं स्वतंत्र भवनों एवं बंगलों में 120/- रु0 प्रति मास प्रति कनेक्शन की दर से प्रभार प्रभारित किये जायेंगे ।